



C.F-26-4-13

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, खण्डपीठ (सर्किट),

इंदौर जिला इंदौर

R-1809-PB2/13

रा0 निगरानी कं0 /2013

प्रस्तुती दिनांक : 4.2013

छुट्टन चाचा पिता श्री गुलाब घोसी,  
आयु 60 साल, व्यवसाय कृषि,  
निवासी मुस्लिमबस्ती, महू, जिला इंदौर

.... प्रार्थी

विरुद्ध

अशोक मेहता पिता मानमल मेहता,  
तर्फ अध्यक्ष, अहिंसा पर्वत,  
उम्र वयस्क, धंधा व्यापार,  
निवासी 75-सी, संगमनगर, इंदौर,  
जिला इंदौर

... प्रतिप्रार्थी

॥ रिविजन धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता के अन्तर्गत ॥

श्री सपनेश गर्ग  
अभिभासक द्वारा  
आज दिनांक 25-4-13  
को इंदौर केस पर  
प्रस्तुत।

G. Singh  
25-4-13

प्रार्थी का सादर निवेदन है कि :-

प्रार्थी यह रिविजन श्रीमान अपर तेहसीलदार महोदय, डां0  
अम्बेडकरनगर, महू, जिला इंदौर के द्वारा राजस्व प्रकरण क0  
13/अ-13/2012-2013 (अशोक मेहता विरुद्ध छुट्टन चाचा) में दि0  
5.4.2013 को पारित आरम्भतः शून्य अंतरिम आदेश जिसके माध्यम से  
प्रार्थी द्वारा रास्ता अवरुद्ध ना किए जाने संबंधी आदेश पारित किए गए  
है एवं अवरोध को 7 दिवस में हटाने बाबद आदेश दिए गए है, से  
असंतुष्ट होकर प्रार्थी यह रिविजन सादर प्रस्तुत करता है कि:-

10.5.13

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... १-१८०९-१/१३ ..... जिला..... झाँसी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16-8-2016	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरोक्त कोई भी उपलब्ध नहीं। दिनांक 15-4-2015 की पेशी पर श्री विनय डी० रामरेके आमंत्रण उपलब्ध दृश्य है। तब से कम्पा समय व्यतीत होने के उपरोक्त भी आवेदक की ओर से कोई उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः प्रकृत अदम पेशी में निरस्त किया जा रहा है।</p>	<p>अध्याक्ष</p>